समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–मैरवा,	पंचायत–कबीरपुर	रिक्ति–02 आरक्षण कोटि – अनारक्षित महिला(1) अनु0जाति(1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अर्चना देवी, पति चंचल कुशवाहा, ग्रा0 कबीरपुर, प्रखण्ड मैरवा।	मेधा सूची में मेरा शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक दर्शाया गया है जबकि मेरे द्वारा इण्टर का प्रमाण पत्र ऑन लाईन आवेदन के साथ दिया गया है। वरीयता सूची के क्रमांक–1 से 14 पर अंकित सभी अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य सरकारी/ निजी नौकरी/ठीकेदारी में है जिसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा मैट्रिक का अंक पत्र अपलोड किया गया है। लेकिन इंटर का अंकपत्र ऑपलोड नहीं है। जिसके आधार पर औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। परिवार के अन्य सदस्यों के अन्य सदस्यों के सरकारी/निजी नौकरी/ठेकेदारी में होना निरर्हता का आधार नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	अनिल कुमार राम, पिता श्रीकान्त राम, ग्रा0+पो0 कबीरपुर, प्रखण्ड मैरवा।	क्रमांक–1 एवं 2 पर अंकित आवेदक एक हीं परिवार के सगे भाई हैं जिनके बाबा रेलवे में हैं इनकी दादी को पेंशन मिलता है। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 एवं प्रकाशित विज्ञापन के नियम एवं शर्त्तो में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने पर रोक नहीं है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)	(चन्दन कुमार)	(अनीता सिन्हा)	(आशुतोष गुप्ता)	(तनुजा श्री)	(विजय प्रकाश मीणा)
जिला सहकारिता पदाधिकारी सिवान।	जिला मत्स्य पदाधिकारी सिवान।	अनुमण्डल पदाधिकारी महाराजगंज।	अनुममण्डल पदाधिकारी सिवान सदर।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी सिवान।	जिला पदाधिकारी सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–मैरवा	पंचायत–इंगलिश	कोटि– 02	आरक्षण कोटि –अनारक्षित महिला,(1) अनु0जाति(1)

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	उषा देवी पति–श्रीराम बिलास प्रसाद ग्राम+पो0–लेभरी	क्रंमाक सं0–33, अनुसूचि–02, 07 पर शिव जीविका स्वयं सहायता समुह आरक्षण कोटि अनारक्षित महिला होने के बाद भी मेरा ऑनलाईन आवेदन त्रुटि में डाल दिया गया है। जबकि मेरे वार्ड एवं पंचायत में जितने भी आवेदक है, वो किसी भी तरह से हमसे उम्र में ज्यादा नही है। कंडिका 1 में यह स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु स्वंय सहायता समुह (जीविका) महिलाओं को प्राथमिकता देना है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के अनुसूची 2 के अनुसार स्वयं सहायता समुह के लिए वर्तमान ग्रेडिंग का उल्लेख किये जाने एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किये जाने का प्रावधान है। जो आवेदक के द्वारा ऑनलाईन फार्म भरते समय अपलोड नही किया गया है। जिसके कारण आवेदन अस्वीकृत है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 09 (v) एवं विभागीय पत्रांक 2733/खाद्य बिहार पटना दिनांक 02.06.2026 के अनुसार उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास एवं वयस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने के उपरांत ज0वि0प्र0 दुकान की अनुज्ञप्ति का आवंटन निम्नवत प्राथमिकताओं के आधार पर की जायेगी– 1– शैक्षणिक योग्यता में Qualification को प्राथमिकता दी जायेगी। 2– Qualification में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। 3– Qualification एवं प्राप्तांक में समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	विकास कुमार मौर्या पिता–श्री शंकर प्रसाद मौर्या ग्राम+पो0– लेभरी	श्रीमती पुर्णिमा कुमारी, पति–श्री विजय कुमार तिवारी, आवेदन संख्या–200 के प्रस्तावित गोदाम तक पहुचने के लिए रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदिका के पति श्री विजय कुमार तिवारी भारतीय सेना के मेडिकल विभाग मे सरकारी पद पर कार्यरत है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	अजय कुमार राम पिता–रामवृक्ष राम ग्राम–सिसवा खुर्द, पोस्ट–लेवरी	वरीयता क्रम में क्रम संख्या–17 पर प्रकाशित राजन कुमार के पिता जयकृष्ण राम वर्तमान मे इग्लिश पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य है तथा उनकी माता कुन्ती देवी वार्ड नं0–15 में ऑगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत है। आवेदक उम्र में भी राजन कुमार से बड़ा है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 09 (अ) एवं विभागीय पत्रांक 2733/खाद्य बिहार पटना दिनांक 02.06.2026 के अनुसार उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास एवं वयस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने के उपरांत ज0वि0प्र0 दुकान की अनुज्ञप्ति का आवंटन निम्नवत प्राथमिकताओं के आधार पर की जायेगी– 1– शैक्षणिक योग्यता में Qualification को प्राथमिकता दी जायेगी। 2– Qualification में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। 3– Qualification एवं प्राप्तांक में समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
4	राम बिलास प्रसाद ग्राम+पोस्ट–लेभरी	मेरी पत्नी उषा देवी के द्वारा शिव जीविका स्वंय सहायता समुह आरक्षण कोटि अनारक्षित महिला पर होने के बाद भी उनका ऑनलाईन आवेदन त्रुटि में डाल दिया गया है। जबकि मेरे वार्ड एवं पंचायत में जितने भी आवेदक है, वो किसी तरह से उनसे उम्र में ज्यादा नही है। अतः मुझे प्राथमिकता दी जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के अनुसूची 2 के अनुसार स्वयं सहायता समुह के लिए वर्तमान ग्रेडिंग का उल्लेख किये जाने एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किये जाने का प्रावधान है। जो आवेदक के द्वारा ऑनलाईन फार्म भरते समय अपलोड नही किया गया है। जिसके कारण आवेदन अस्वीकृत है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 09 (v) एवं विभागीय पत्रांक 2733/खाद्य बिहार पटना दिनांक 02.06.2026 के अनुसार उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास एवं वयस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने के उपरांत ज0वि0प्र0 दुकान की अनुज्ञप्ति का आवंटन निम्नवत प्राथमिकताओं के आधार पर की जायेगी– 1– शैक्षणिक योग्यता में Qualification को प्राथमिकता दी जायेगी। 2– Qualification में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। 3– Qualification एवं प्राप्तांक में समानता होने पर अधीक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
5	पूजा कुमारी पति–रवि कुमार ग्राम–इंग्लिश	मै आवेदन करते समय एम0 का सट्रिफिकेट लगाई हुँ परन्तु शैक्षणिक योग्यता स्नातक के आधार पर तैयार किया गया है जिसे सुधार किया जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक के द्वारा सिर्फ स्नातकोत्तर उर्तीण का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें प्राप्तांक या श्रेणी अंकित नही है। अंक पत्र संलग्न नही है। उपरोक्त के अनुसार अंतिम मेधा क्रम में सुधार किया जा सकता है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति स्वीकृत किया जाता है।**	
6	आयशा जहाँ पिता–सफीक खॉ ग्राम+पोस्ट–इंग्लिश	अनारक्षित महिला के मेधा सूची में प्रथम स्थान पर अंकित अभ्यर्थी पुर्णिमा कुमारी, पति–श्री विजय कुमार तिवारी, भारतीय सेना में पूर्ण कालिक सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
7	निलू कुमारी पति–श्री अनुप कुमार ग्राम–लेभरी टोला खैरा	आवेदन के साथ मेरा जाति प्रमाण पत्र निर्गत नही हो पाया था जिस कारण मै उसे आवेदन के साथ संलग्न नही कर सकी अब मेरा जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है जो मेरे आरक्षण वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि "आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा।" अलग से कोई भी प्रमाण पत्र या कागजात अपलोड करने का प्रावधान नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
8	नीलू कुमारी पिता–अनुप कुमार ग्राम+पोस्ट–लेभरी	1–क्रमांक 17 श्री राजन कुमार के पिता जयकृष्ण राम पंचायत समिति सदस्य है। 2– क्रमांक 18 श्री अजय कुमार राम के द्वारा प्रस्तुत स्नातक अंक पत्र कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की जॉच कराई जाय। इनका स्थाई निवास सिसवा खुर्द पंचायत के उस क्षेत्र में है या नही जिसके उचित मुल्य दुकान की रिक्ति प्रकाशित की गई है इसकी भी जॉच कराई जाय। साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त अभ्यर्थी डॉक्टर के रूप में प्रेक्टिस भी करते है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। 2–जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के रूप में प्रेक्टिस किया जाना अनुज्ञप्ति निरर्हता की श्रेणी में नही आता है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)	(चन्दन कुमार)	(अनीता सिन्हा)	(आशुतोष गुप्ता)	(तनुजा श्री)	(विजय प्रकाश मीणा)
जिला सहकारिता पदाधिकारी सिवान।	जिला मत्स्य पदाधिकारी सिवान।	अनुमण्डल पदाधिकारी महाराजगंज।	अनुममण्डल पदाधिकारी सिवान सदर।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी सिवान।	जिला पदाधिकारी सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–मैरवा	पंचायत–सेमरा	कोटि– 02	आरक्षण कोटि–अनारक्षित (1) अ0पि0वर्ग महिला (1)

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कुमारी रम्भा सिंह पति–बीरबहादुर सिंह ग्राम–धुसा पोस्ट–पुनक	प्रमिला देवी द्वारा आवेदन संख्या–974, राधेश्याम सिंह द्वारा आवेदन संख्या–417, हरेराम सिंह द्वारा आवेदन संख्या–992 एवं अनिता देवी द्वारा आवेदन संख्या–103 ज0वि0प्र0 दुकान के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये है चारो आवेदनकर्त्ता एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। चारो आवेदकों द्वारा प्रस्तावित गोदाम तक पहुचने के लिए कोई सार्वजनिक मार्ग उपलब्ध नही है। आवेदनकत्ताओं के परिवार के सदस्य भारतीय सेना एव सी0आई0एस0एफ0 में कार्यरत है। आवेदनकर्त्ताओं के परिवार द्वारा मैरवा धाम में कुशवाहा टेलर्स एवं कुशवाहा इलेक्ट्रोनिक के नाम से दो व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी संचालित किये जा रहे है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 एवं प्रकाशित विज्ञापन के नियम एवं शर्त्तो में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने पर रोक नहीं है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। परिवार के सदस्यों के सरकारी लाभ के पद पर रहना एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित करना अनुज्ञप्ति निरर्हता की श्रेणी में नही आता है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	हरिकेश लाठौर पिता/पति–जगत लाठौर ग्राम–धमौर पोस्ट–सेमरा थाना–मैरवा जिला–सिवान।	ग्राम पंचायत सेमरा, थाना–मैरवा जिला सिवान हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डीलर लाइसेंस हेतु प्रकाशित मेरिट लिस्ट में मेरा क्रम सं0–9–10 ऑनलाईन आवेदन सं0–753, 378 है मेरे द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में प्रकाशित मेरिट लिस्ट का अबतक जॉच नही हुआ है। जबकि उसी मेरिट लिस्ट में अन्य अभ्यर्थियों का जॉच स्थल पर जाकर सेमरा पंचायत में किया गया है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
3	राधेश्याम सिंह, पिता स्व0 रामविलाश सिंह, सा0 सेमरा, प्रखण्ड मैरवा।	क्रमांक–2 पर मेरा नाम अंकित है। विश्वजीत सिंह उर्फ राजा सिंह, पिता रविन्द्र कुमार सिंह भी अभ्यर्थी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हैं जो मैरवा थाना काण्ड सं0–136/18 एवं 18/11 धा–179 के अभियुक्त हैं। राजा सिंह के मार्क प्रतिशत 70.33 है जबकि मेरा क्रमांक सं0–2 एवं प्रतिशत 78.18 है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा दिनांक–20.03.2026 को निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है एवं विभागीय परिपत्र संख्या 2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के तहत विश्वजीत सिंह को आरक्षण दिया गया है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
4	प्रमिला देवी, पति राधेश्याम सिंह, ग्रा0 सेमरा, प्रखण्ड मैरवा।	क्रमांक–2 पर मेरा नाम अंकित है। विश्वजीत सिंह उर्फ राजा सिंह, पिता रविन्द्र कुमार सिंह भी अभ्यर्थी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हैं जो मैरवा थाना काण्ड सं0–136/18 एवं 18/11 धा–179 के अभियुक्त हैं। राजा सिंह के मार्क प्रतिशत 70.33 है जबकि मेरा क्रमांक सं0–2 एवं प्रतिशत 78.18 है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा दिनांक–20.03.2026 को निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है एवं विभागीय परिपत्र संख्या 2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के तहत विश्वजीत सिंह को आरक्षण दिया गया है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
5	रवीन्द्र कुमार सिंह, पिता स्व0 चन्देश्वर सिंह, ग्रा0 धमौर, प्रखण्ड मैरवा।	क्रमांक–2, 3 एवं 6 पर अंकित आवेदक एक हीं परिवार के हैं और उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र संदिग्ध है जिसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 सेप्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 एवं प्रकाशित विज्ञापन के नियम एवं शर्त्तो में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने पर रोक नहीं है। जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
6	विश्वजीत सिंह, पिता रविन्द्र कुमार सिंह, ग्रा0 धमौर, प्रखण्ड मैरवा।	क्रमांक–2 एवं 3 पर अंकित आवेदक का स्नातकोतर का प्राप्तांक 78.18 प्रतिशत है जो पूर्णतः गलत है जिसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
7	हरेराम सिंह, पिता स्व0 रामविलाश सिंह, सा0 सेमरा, प्रखण्ड मैरवा।	चयनित अभ्यर्थी के विरूद्ध मैरवा थाना काण्ड सं0–1.36 वर्ष 2018 (2) 18/2011 दर्ज है। दुकान संचालन हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि विवादित है। इनके पिता वार्ड सदस्य हैं। आवेदन में अपना नाम विश्वजीत सिंह अंकित किये हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा दिनांक–20.03.2026 को निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र अपलोड किया है । बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
8	रेखा देवी, पति जयप्रकाश सहनी, ग्रा0 सेमरा, प्रखण्ड मैरवा।	मैंने अ0पि0व0 के लिए आवेदन दिया था परन्तु सूची में सामान्य कोटि रखा गया है। मेरे पिता जी का नाम रामजनक साहनी है किन्तु सूची में नाम बिर बहादुर सिंह लिखा गया है जो गलत है। वरीयता सूची क्रम सं0–40, 41, 42 अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं ऐसी स्थिति में अ0पि0व0 में जन वितरण प्रणाली की आवश्यकता है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि औपबंधिक मेघा सूची में टंकणीय भूल वश आवेदक के पिता का नाम राम जनक सहनी के जगह बीर बहादुर सिंह अंकित हो गया है। अंतिम मेधा सूची में आवेदक के पिता का नाम सुधार किया जा सकता है। आवेदक के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत पिछड़ा जाति का जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। जिसके कारण इन्हे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति 01 स्वीकृत एवं 02 अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
9	दिनेश कुमार, पिता ओमप्रकाश सहनी, ग्रा0+पंचायत सेमरा, प्रखण्ड मैरवा।	1–क्रमांक–1 पर अंकित विश्वजीत सिंह स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हैं और इनके पिता वार्ड मेम्बर है। 2–इसी प्रकार क्रमाक–2 एवं 3 पर अंकित परमिला देवी के परिवार में सेना में कार्यरत हैं। 3–क्रमांक–4 पर अंकित दूसरे पंचायत के निवासी हैं। 4–क्रमांक–6 पर हरेराम सिंह क्रमांक–3 के भाई हैं।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मे अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। 2–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। 3–क्रमांक 04 पर अंकित सुनील कुमार के आवेदन में उल्लेखित ग्राम कोडरा के निवासी है जो मुड़ियारी पंचायत में आता है। ये सेमरा पंचायत के निवासी नही है। 4– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 एवं प्रकाशित विज्ञापन के नियम एवं शर्त्तो में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने पर रोक नहीं है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति क्रमांक 01, 02 एवं 04 अस्वीकृत एवं क्रमांक 03 स्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

12.11.26
(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

12/11/26
(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

12/11/26
(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

12/11/26
(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

12/11/26
(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–मैरवा	नगर पंचायत मैरवा	कोटि– 01 आरक्षण कोटि– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कुन्दन कुमार अखिलेश्वर प्रसाद ग्राम–मैरवा धाम पोस्ट+थाना–मैरवा	मेरा नाम के उपर वरीयता सूची में 02 नम्बर पर पिंकी कुमारी का नाम जिनके द्वारा आवेदन पत्र अपने को आर्थिक रूप से कमजोर के आधार पर दी है जो बिल्कुल गलत है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि पिंकी कुमारी के द्वारा अंचलाधिकारी मैरवा के द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उपरोक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	कुन्दन कुमार अखिलेश्वर प्रसाद ग्राम–मैरवा धाम	मेरा नाम के उपर वरीयता सूची में 01 नम्बर पर शौमिल उपाध्याय पिता–भूषण उपाध्याय ग्राम–उपाध्याय छपरा पो0– लगड़पुरा, थाना–मैरवा, जिनका आवेदन संख्या–593 हैं। उनके परिवार के सदस्यों में किसी एक नाम से संवेदकीय अनुज्ञप्ति है जिसके आधार पर वे ठेकेदारी का कार्य भी करते है। वे हर तरह से सम्पन्न है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि शौमिल उपाध्याय के द्वारा अंचलाधिकारी मैरवा के द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	संदीप कुमार पिता–घनश्याम वर्णवाल ग्राम–मोती छापर	प्रकाशित मेधा सूची में ई0डब्लू0एस0 की समय–सीमा को समाप्त दिखा कर के मेरे आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जिसकी जॉच की जॉय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी मैरवा द्वारा दिनांक–24.02.2025 को निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो निर्गत की तिथि से 24.02.2025 से अगले एक वर्ष के लिए मान्य है, जिसकी बैधता समाप्त हो चुकी है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
4	पिंकी देवी पति–अरविन्द कुमार उपाध्याय ग्राम–उपाध्याय छापर पोस्ट– लंगड़पुरा	औपबंधिक मेधा सूची में एक नम्बर आवेदक सौमिल उपाध्याय पिता–भुपेश उपाध्याय आर्थिक रूप से कमजोर नही है, वे एक राजनितिक व्यक्ति है, तथा पूर्व में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके है, वे ठिकेदारी का काम कराते है एवं उर्मिला इण्टरप्राईजेज को संचालित करते है। जबकि आवेदिका एक गरीब महिला है, जिनको जिविकोपार्जन हेतु कोई साधन नही है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 सेप्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक अंचलाधिकारी मैरवा द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अपलोड किये है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 में ठिकेदारी का काम करने पर उचित मुल्य की दुकान के अनुज्ञप्ति से निरर्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
5	प्रदीप कुमार दुबे पिता–राजेन्द्र दुबे ग्राम–टीचर्स कॉलोनी मैरवा	मै औपबंधिक मेधा सूची में वर्णीत क्रम संख्या 01 एवं 02 के आवेदकों से उच्च योग्यता शिक्षा स्नातक (बी0एड0) धारित करता हुँ । और साथ ही मेरी उम्र भी अन्य दोनो आवेदकों से बहुत ही अधीक है। अतः मुझे वरीयता क्रमांक में 01 पर रखा जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक के द्वारा स्नातक का अंक पत्र संलग्न नही किया गया है। चूकि औपबंधिक मेधा सूची उच्चतर शैक्षणिक प्राप्तांक के आधार पर बनाया गया है। बी0एड0 की डिग्री को मेधा सूची में अतिरिक्त लाभ देने का प्रावधान नही है। शैक्षणिक योग्यता की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
6	वरूणेश आन्दर वरूण पिता–स्व0 राजेश्वर सिंह ग्राम– मैरवा धाम वार्ड सख्या–11	ई0डब्लू एस0 एवं चरित्र प्रमाण पत्र की पावती संलग्न था जिसका मूल प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मैरवा के पत्रांक–117 दिनांक–27.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि "आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। आवेदक द्वारा आवेदन के समय ई0डब्लु0एस0 एवं आचरण प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं किया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा।" अलग से कोई कागजात अपलोड करने का प्रावधान नही है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।